

चेक लिस्ट क. 35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र
(कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)



कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

कंडिका क्रमांक 35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)

प्रमाणित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 32.790 कि.मी., जिसमे 10.465 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

(ए. के. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर (भू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक 951 / भू.अ.लि./2019
पति,

रायगढ़ दिनांक 25/07/2019

सचिव

छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- छ0ग0 राज्य सड़क परियोजना (ए.डी.वी. लोन -3) के अंतर्गत धरमजयगढ़ कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ :- परियोजना प्रबंधक (ए.डी.वी लोन 3) छत्तीसगढ़ विकास परियोजना लो. नि. वि. बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 350/तक/ल-3/ए.डी.वी../2017-18 बिलासपुर दिनांक 08/3/2018।

.....00.....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। परियोजना प्रबंधक (ए.डी. वी. लोन -3) छत्तीसगढ़ विकास परियोजना लो. नि. वि. बिलासपुर द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ - कापू मार्ग कुल लंबाई 32. 87 कि. मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिये प्रस्तावित ए.डी. वी. परियोजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उक्त परियोजना में प्रभावित कुल राजस्व वन भूमि 4.832 हे. जो अभिलेख में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज हैं को गैर वानिकी प्रयोजन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ द्वारा निम्नांकित भूमि के लिये आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने में किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होने को लेख किया गया है।

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व वन भूमि		प्रभावित रकबा (हे. मे)	भूमि का मद
			खसरा नंबर	कुल रकबा		
1	2	3	4	5	6	7
1	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	1303/1क/1	2.263	0.434	बड़े झाड़ का जंगल
			1304/1क/1	8.044	0.650	बड़े झाड़ का जंगल
			1310/1क/1	24.850	0.344	बड़े झाड़ का जंगल
			1311/1क/1	165.967	0.902	बड़े झाड़ का जंगल
2		मिरीगुडा	558/1क	12.031	0.830	बड़े झाड़ का जंगल
			558/9क	60.813	1.132	बड़े झाड़ का जंगल
			560/1क			
			209/1क	11.096	0.540	बड़े झाड़ का जंगल
महायोग		02	08		4.832	

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधिन भू - खण्ड बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कर उपयोग में लाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय को आवेदन देने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति भेजने को तात्पर्य यह कदापी नही माना जावेगी की उपर्युक्त भूमि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 25/07/2019

पृ.कमांक 951 'A' / भू.अ.लि. / 2019
प्रतिलिपी :-

- (1) वन मंडलाधिकारी वन मंडल धरमजयगढ़ को सूचनार्थ ।
- (2) कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) छ0ग0 सडक विकास लो. नि. वि. बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)